

रामजीलाल बनाम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर  
405/2015 (जीसीएमएस नम्बर 2015/00071)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

08.12.21

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे हैं उसके उपरान्त आज भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)  
संभागीय आयुक्त,  
जयपुर